सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,
जनपद बदायूँ, उत्तर प्रदेश।

विषय: औषधि माफ़ियाओं द्वारा उत्पीड़न एवं फर्जी शिकायतों के माध्यम से मानसिक प्रताड़ना किए जाने के संबंध में कठोर कार्यवाही हेतु प्रार्थना।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी नाम: डॉ. सैयद मुदस्सिर अली पिता का नाम श्री सैयद कैसर अली पता: सैदपुर, जनपद बदायूँ (उ.प्र.) पंजीकरण संख्या 12885 भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश से पंजीकृत निजी चिकित्सक।

विवरण:

1. गत अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में **Azidan Pharma** कम्पनी के प्रतिनिधियों में डॉ. सुबूर खान (आयुष चिकित्सक, कार्यरत सी.एच.सी. जगत, जनपद-बदायूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, RBSK योजना के अंतर्गत), श्री आसिफ़ हुसैन (जिला डाटा मैनेजर, आई.डी.एस.पी., संक्रामक रोग विभाग, जनपद-बदायूँ) डॉ. दानिश अंसारी पुत्र असलम अंसारी, निवासी ऊपरीपारा (निजी चिकित्सक), श्री अजमत अली खान (प्रोपराइटर – अजमत मेडिकल स्टोर, कबूलपुरा रोड, बदायूँ) मेरे निजी क्लीनिक पर आए तथा अपनी कम्पनी की दवाइयाँ लिखने हेतु मुझसे वार्ता की। इसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास सुरक्षित है।
2. प्रारंभिक परिचय मेरे छोटे भाई मुवाशिर अली के माध्यम से होने के कारण, मैंने इन्हें आश्वस्त किया था। परंतु दवाइयों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न पाकर भविष्य में न लिखने का निर्णय लिया।
3. उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा उसके पश्चात अनेक स्थानों पर यह धमकी दी गई कि –"यदि हमारी कम्पनी की दवा नहीं लिखी तो तुम्हें चैन से प्रैक्टिस नहीं करने देंगे।"

Syed Mudassir Ali
9719469285

4. तत्पश्चात इन व्यक्तियों ने सलीम नामक फर्जी व्यक्ति से मेरे विरुद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) बदायूँ कार्यालय में शिकायत करवाई। शिकायतकर्ता द्वारा अंकित मोबाइल नंबर 9411989931 लगातार बंद पाया गया। निजी स्तर पर जांच में स्पष्ट हुआ कि यह नंबर वास्तव में आसिफ़ हुसैन (उपरोक्त आरोपी) के नाम से पंजीकृत है। यह तथ्य दर्शाता है कि शिकायत पूरी तरह से षड्यंत्र एवं दुर्भावना से की गई।

5. विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि CMO कार्यालय में इनके संबंध प्रगाढ़ होने के कारण, डॉ. सुबूर एवं आसिफ़ हुसैन आदि ने मिलीभगत कर मेरे विरुद्ध फर्जी शिकायतें दर्ज कराई हैं।

6. दिनांक 10/09/2025 को पुनः इन लोगों की मिलीभगत से, इस (8218813693) से मेरे विरुद्ध शिकायत कराई गई इस व्यक्ति से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और यह व्यक्ति मरीज़ के तौर पर दिखाने नहीं आया है और यह बदायूं शहर का निवासी है और मुझे नोडल अधिकारी के माध्यम से जबरन नोटिस भिजवाया गया। यह घटना इस षड्यंत्र का एक और प्रमाण है कि ये लोग संगठित रूप से मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं।

7. उक्त व्यक्तियों की हरकतों के कारण मुझे निरंतर मानसिक प्रताड़ना, पेशागत उत्पीड़न एवं छवि धूमिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रमाण स्वरूप व्हाट्सऐप चैट, रिकॉर्डेड फोन कॉल्स एवं सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध हैं।

प्रार्थना:

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि –

1. उपर्युक्त तथ्यों की निष्पक्ष एवं गंभीर जांच कराई जाए।
2. सरकारी पद पर रहते हुए मिलीभगत कर उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों एवं फर्जी पत्रकार की संलिप्तता की जांच कर, भा.दं.सं. (IPC), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि की प्रासंगिक धाराओं के

Syed Mudassir Ali
9719469285

अंतर्गत कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

3. भविष्य में मेरे विरुद्ध इस प्रकार की फर्जी शिकायतों एवं प्रताड़ना को रोकने हेतु सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित किया जाए।

Syed Mudassir Ali
9719469285

भवदीय,

डॉ. सैयद मुदस्सिर अली

निवासी – सैदपुर, बदायूँ (उ.प्र.)

प्रतिलिपि-

1. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
2. जिलाधिकारी बदायूं
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं